छत्तीसगढ़ विधानसभा
पत्रक भाग-एक
संक्षिप्त कार्य विवरण
गुरुवार, दिनांक 18 मार्च, 2010
(फाल्गुन-27, शक संवत् 1931)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल दिनांक 11 मार्च, 2010 के स्थगित तारांकित प्रश्न संख्या 15 तथा 21 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 05, 07 से 18, 20 एवं 21 (कुल 20) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्न संख्या 06 एवं 19 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य डॉ.शिवकुमार डहरिया अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में 11 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

प्रश्नकाल में निर्धारित पूरे प्रश्नों पर चर्चा होने पर माननीय अध्यक्ष को सदन द्वारा बधाई दी गई। श्री कुलदीप सिंह जुनेजा, सदस्य एवं श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा भी माननीय अध्यक्ष एवं सदन को बधाई दी गई।

2. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री नंद कुमार पटेल, सदस्य ने प्रदेश के रायगढ़ तथा जशपुर जिले के बच्चों को अन्य प्रदेशों में जबरन ले जाये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री विजय बघेल, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया।

3.बहिर्गमन

ध्यानाकर्षण क्रमांक 01 पर चर्चा के दौरान श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया।

4. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमशः)

(2) श्री संतोष बाफना, सदस्य ने राष्ट्रीय राजमार्ग-43 अंतर्गत केशकाल घाटी में सड़क की जर्जर स्थिति की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, लोक निर्माण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

5. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री सौरभ सिंह, सदस्य ने अकलतरा विकास खण्ड अंतर्गत सांकर वितरक नहर अव्यवस्थित होने, तथा

(2) डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, सदस्य ने प्रतापपुर जिला सरगुजा के अंतर्गत वृक्षों की अवैध कटाई किए जाने, संबंधी शून्यकाल की सूचना पढ़ी।

6. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री सेवकराम नेताम, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन इस प्रकार है:-

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 19 मार्च, 2010 को चर्चा के लिये आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया, तथा निम्नलिखित अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निम्नानुसार समय निर्धारित करने की सिफारिश की है:-

अशासकीय संकल्प क्रं.	*सदस्य का नाम*	*समय*
1. (क्रमांक - 10)	श्री सौरभ सिंह	15 मिनट
2. (क्रमांक - 12)	महंत श्री रामसुंदर दास	40 मिनट

3. (क्रमांक - 06)	श्री भीमा मंडावी	15 मिनट
4. (क्रमांक - 11)	श्री नारायण चंदेल	40 मिनट
5. (क्रमांक - 22)	श्री देवजी पटेल	40 मिनट

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

7. वर्ष 2010-2011 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

माननीय जल संसाधन मंत्री के विभागों की मांगों पर पुनर्गृहीत चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लियाः-

श्री रविशंकर त्रिपाठी,

(सभापति महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री मोहम्मद अकबर, डोमनलाल कोर्सेवाड़ा, धर्मजीत सिंह, खेदूराम साहू, नंदकुमार पटेल, ब्रह्मानंद, लखमा कवासी, देवजी पटेल, सौरभ सिंह, डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी,

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री दूजराम बौद्ध, चैतराम साहू, संतोष बाफना, लेखराम साहू, श्रीमती अंबिका मरकाम, श्री परेश बागबाहरा, गुरु रूद्रकुमार, श्री भोलाराम साहू, श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर, सर्वश्री डमरूधर पुजारी, दयालदास बघेल, कुलदीप सिंह जुनेजा एवं श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

श्री हेमचंद यादव, जल संसाधन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से आज की कार्यसूची के पद क्रमांक 4 (2) की मांगे प्रस्तुत होने एवं चर्चा प्रारंभ होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

(2) श्री अमर अग्रवाल, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से संबंधित मांग संख्या 19, चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 79, वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 7, राजस्व विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 9, भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन से संबंधित मांग संख्या 8, पुनर्वास से संबंधित मांग संख्या 35, प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय से संबंधित मांग संख्या 58 प्रस्तुत की।

मांग संख्या-19 पर सर्वश्री रविन्द्र चौबे, डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, ताम्रध्वज साहू, डॉ.हरिदास भारद्वाज, भोलाराम साहू, अग्नि चंद्राकर, श्री दूजराम बौद्ध, **मांग संख्या-79 पर** सर्वश्री डॉ.हरिदास भारद्वाज, ताम्रध्वज साहू, अग्नि चंद्राकर, हृदयराम राठिया, **मांग संख्या-7 पर** सर्वश्री रविन्द्र चौबे, डॉ.हरिदास भारद्वाज, भोलाराम साहू, **मांग संख्या-9 पर** डॉ.हरिदास भारद्वाज, **मांग संख्या-8 पर** सर्वश्री रविन्द्र चौबे, मोहम्मद अकबर, डॉ.हरिदास भारद्वाज, भोलाराम साहू, **मांग संख्या-35 पर** सर्वश्री रविन्द्र चौबे, अमितेश शुक्ल, डॉ.हरिदास भारद्वाज, **मांग संख्या-58 पर** सर्वश्री रविन्द्र चौबे, डॉ.हरिदास भारद्वाज, ताम्रध्वज साहू एवं श्री भोलाराम साहू, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों एवं कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई।

डॉ.हरिदास भारद्वाज, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की। (जारी..)

सायं 5.34 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 19 मार्च, 2010 (फाल्गुन 28, शक संवत् 1931) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा